जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक-16.05.2025

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की सजा एवं 10,000/- रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अवगत कराना है कि वर्ष 2017 में अभियुक्त मुकेश पुत्र श्रीचन्द निवासी खेडा कुर्तान थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 612/2017 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था। शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में दिनांक 15.05.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त मुकेश को धारा 376 भादवि व ¾ पोक्सो अधिनियम में 10 वर्ष कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास, धारा 366 भादवि में 04 वर्ष कारावास व 3000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास, धारा 363 भादवि में 03 वर्ष कारावास व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 मामलो में 06 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 6,300/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2023 में अभियुक्तगण जाहिद पुत्र इकबाल निवासी मसावी थाना थानाभवन व टिंकू पुत्र महर सिंह निवासी मौहल्ला शाहविलायत कस्बा व थाना थानाभवन के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 46/23 व379/23 धारा 13 जी सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुये कुल 100/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2016 में अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम तीतरवाडा थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 681/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 2003 में अभियुक्तगण 1.सतपाल पुत्र अतर सिंह 2. सुनील पुत्र अतर सिंह 3.कंवरपाल पुत्र सरधा निवासीगण हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 42/227/03 धारा 323/504 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 15.05.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना,शामली द्वारा अभियुक्तगण को कुल 1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

थाना कोतवाली शामली/कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 16.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानो पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आरिफ पुत्र जहूर हसन निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.साबिर पुत्र इकबाल निवासी ग्राम गंगेरु थाना कांधला जनपद शामली।

3.राहुल पुत्र सुखवीरा निवासी भडल थाना दोघट जनपद बागपत।

कोतवाली काँधला
मो.9454404071 जनपद-शामली

ली काँधला
4071 जनपद-शामली